



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श0)

(सं0 पटना 482) पटना, वृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-37/2020-967/न0वि0एवंआ0वि0— बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समस्तीपुर जिलान्तर्गत निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों को शामिल कर कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत नगर पंचायत रोसड़ा का नगर परिषद् में उत्क्रमण, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4362 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद् में उत्क्रमित करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्र0	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम एवं थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद् रोसड़ा	जहाँगीरपुर-54 महम्मदपुर अलाउद्दीन उर्फ रहुआ-58 मोहिउद्दीनगर उर्फ रोसड़ा-69 सोनुपुर दक्षिण-59	जहाँगीर दक्षिण, सोनुपुर दक्षिण, महम्मदपुर अलाउद्दीन उर्फ रहुआ, मोहिउद्दीनगर पश्चिम (पूर्ण भाग)	उत्तर-सोनुपुर उत्तर पंचायत-59, जहाँगीरपुर दक्षिण पंचायत का अंश-54, रसलपुर ढरहा-68 दक्षिण-रेलवे वो चकताथ पश्चिम-74/2, चकताथ	46414

	मोहिउद्दीन नगर पश्चिम-69 चकताथ पश्चिम मौजा सहियार-74 / 2 चकताथ पुरब मौजा खैरा-77 मौजा पुरखोतिमपुर-70	चकताथ पश्चिम एवं चकताथ पूरब (आंशिक)	पूरब पंचायत-77 पूरब-मोहिउद्दीन नगर उर्फ रोसड़ा पश्चिम पंचायत टोले मब्बी वो हिरामिया-69 पश्चिम-बुढ़ी गंडक वो रहुआ-58 जहाँगीरपुर दक्षिण-54	
--	--	---	--	--

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद रोसड़ा कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 482-571+200-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>